

राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ, जयपुर

आदेश

एकलपीठ दीवानी विविध अपील नं. 5192/2011

श्रीमती विनीता शर्मा

बनाम

ओरियन्टल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड

आदेश दिनांक :

15.11.2017

माननीय न्यायाधिपति श्री बनवारीलाल शर्मा

श्री नितेश रावत, अधिवक्ता वास्ते,
श्री बी सी रावत, अधिवक्ता—अपीलार्थी की ओर से।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री नितेश रावत ने उपस्थित होकर निवेदन किया है कि इस प्रकरण में अपीलार्थी की मृत्यु हो चुकी है। अतः उनके कायम मुकाम को अभिलेख पर लेने हेतु आवेदन पेश करने हेतु अवसर दिये जाने का निवेदन किया।

प्रार्थनानुसार प्रकरण एक सप्ताह बाद पुनः सूचीबद्ध किया जावे।

(बनवारी लाल शर्मा)
न्यायाधिपति